दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियां तब की गई जब शांति भंग होने की आशंका थी जिसे अन्यथा नहीं रोका जा सकता था।

(ख) दंड प्रक्रिया संहित की धारा 107/151 के अधीन गिरफ्तारियों के आधारों का सत्यापन, सब डिविजनों के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्ष (1991, 1992 और 1993) के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के दुरूपयोग के लिए 13 पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए हैं।

कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाना

2320. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार कारागार प्रशासन का, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, आधुनिकीकरण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हा, तो इस योजना का प्रारूप क्या है तथा योजना का कार्यान्वियन होने के बाद सामान्य कैदियों, राजनैतिक कैदियों और किसी अन्य श्रेणी के कैदियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा इस सम्पूर्ण योजना को लागू करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) "जेल" राज्य का विषय है अतः सभी प्रकार के कैदियों को सुविधाएं स्वयं राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, उनकी अपनी जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है। तथापि अपने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना चलाई हुई है जिसके अंतर्गत जेलों की स्थिति सुधारने, सुरक्षा, संचार व्यवस्था मजबूत बनाने, पुराने जेल भवनों की मरम्मत और नवीकरण करने, चिकित्सकीय देखभाल, तन्दुरुस्ती और स्वास्थ्य की देखभाल करने, निर्माण कार्यक्रमों, जेल में स्थित उद्योगों के आधुनिकीकरण, महिला अपराधियों को सुविधाएं देने आदि के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1987—92 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही प्रदान की जा चुकी 45 करोड़ रु० की वित्तीय सहयता के अलावा, इस उद्देश्य के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100 करोड़ रु० तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ईसाई संगठनों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता

2321. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ईसाई संगठन विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लागू नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन नियमों और कानुनों का उल्लंघन करने संबंधी कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से ऐसी निधियों की कितनी राशि प्राप्त की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : (क) जी हा, श्रीमान।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाली संस्थाएं विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं उपरोक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत हों या उन्होंने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

(ग) संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिटनों की संवीक्षा करने पर उल्लंघनों के निम्नलिखित मामलो का पता चला है :—

1992-93	.	.	.	13
1993-94	.	.	.	13

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई विदेशी अभिदाय की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1990-91	.	945.47 करोड़ रूपये।
1991-92	.	1412.13 करोड़ रूपये।
1992-93	.	1584.30 करोड़ रूपये।

Spread of Cholera in Jammu and Kashmir

2322. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government has drawn the attention to the news-item appeared in the Indian Express dated 25th September, 1994 captioned "Cholera gastro claim 250 lives in Jammu and Kashmir";

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and

(c) steps taken by Government to prevent the said disease in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Government are aware of the news report in question. There was a serious enteritis epidemic in the Valley resulting in 150 deaths in the Districts of Baramula, Budgam, Kupwara, Anantnag, Pulwama and Srinagar.

(c) The Government of Jammu and Kashmir immediately sprang in action and drew up a coordinated plan of action and took various measures, such as augmenting drugs and medical supplies (including air lifting of medical supplies from Delhi), conducting laboratory and epidemiological investigations, testing samples of water, sending special teams of doctors, etc. Government of India also deputed a medical team from NICD. All these measures and regular surveillance at District level brought the disease under control.

Hiring of Home Guards by Delhi Traders

2323. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Times of India dated the 9th October, 1994 captioned "Delhi Traders hire Home Guards";

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons therefor; and

(d) what is the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Police have reported that the Sarva Vyapar Mandal, one of the two trader associations in Chandni Chowk has hired 12 Home Guard personnel on payment of Rs. 50/- per day directly from Delhi Home Guards. For this facility, the Sarva Vyapar Mandal charges Rs. 30/- from every member of the association. These Home Guards have been divided into six groups to patrol in the market from Jain Temple to Fatehpuri Mosque from 11.00AM to 7PM. Each team is accompanied by an armed Delhi Police Constable to provide fire power, if required.

(c) The main purpose of this scheme is to deal with any emergency arising out of crime and to keep the governments clear of encroachment and to regulate traffic in the congested market area.

(d) Chandni Chowk is an extremely crowded commercial area and the home guards have been hired by the Traders Asosciation to ensure greater uniform presence in the area which the local police cannot do because of the constraints on police power and other responsibility of the police.

Formula to Resolve Uttarakhand Agitation

2324. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Government have worked out any formula to resolve the Uttarakhand agitation;

(b) if so, the details of the steps taken in this regard;

(c) whether Govenment propose to resolve the issue amicably; and

(d) if so, the further reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (d) Sincere efforts are on to find a solution to the Uttarakhand issue. As this is a sensitive and delicate issue, patience, tact and farsightedness is necessary on the part of all parties involved. However, Government is not contemplating reorganisation of the present set up of States.

महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के संबंध में शिकायत

2325. **श्रीमती आनन्दी बेन जेठाभाई पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों के संबंध में उत्तर-प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति विकास परिषद के अध्यक्ष से कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शिकायत पर क्या कार्रवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Ransom Paid to Kidnappers

2326. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of kidnapping reported each month during the last four months in Delhi;